बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC/89/2021- 146

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 05/03/2024

विषय– श्री जीतेन्द्र कुमार द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत गौरभगढ़ मौजा के खाता संख्या–251, 446, 288, खेसरा संख्या–4673, 4676, 4675, थाना संख्या–218, थाना–सुपौल में सुपौल टाउन–हरदी SH-66 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.005775 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/144240/2021/46, दिनांक 08.01.2024

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 08.01.2024 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.**	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू० 8,74,538.00 (रू० आठ लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ अड़तीस) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270144240745, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 07.02.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINH24038638465 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.00578 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.00578 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 5,536/– (पाँच हजार पाँच सौ छत्तीस रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270144240745, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 07.02.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINH24038638465 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 07.02.2024 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete	प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.02.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल से निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्त्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B:	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**	
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment, ...	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage– I) में अधिरोपित सभी शर्त्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.00578 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/89/2021- 146 दिनांक– 05/03/2024

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ / वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल एवं श्री जीतेन्द्र कुमार, पिता–श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम–चौघारा, पोस्ट–हरदी, थाना–सुपौल, जिला–सुपौल, पिन–825108 को सूचना हेतु प्रेषित।

5/3/24

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Supaul/ Supaul Forest Division, Supaul.
3	Name of User Agency nature of proposal	Shree Jitendra Kumar Supaul / IOCL Retail Outlet
4	Extent of forest area involved	0.005775 Ha.
5	Whether Original, or extension	Original
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-
7	Date of 1st stage Clearance	08.01.2024
8	**Extent of CAMPA charges head wise viz.**	
	a.Compensatory Afforestation	8,74,538.00
	b. Additional CA	-NA-
	C. Penal CA	-NA-
	d. Catchment Area Treatment	-NA-
	e. Wildlife Management Plan	-NA-
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-
	g. Net present Value	5,536.00
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	(see below)

S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
1	e-challan	CBINH24038638465	5,536/-	NPV
2		dt. 07.02.2024	8,74,538/-	CA
		Total-	**8,80,074/-**	

10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 07.02.2024
12	Any other remarks	

5/3/24

(Arvinder Singh)
Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153123

(39)

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना। दिनांक– 27-02-24

विषय– श्री जीतेन्द्र कुमार द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत गौरभगढ़ मौजा के खाता संख्या–251, 446, 288, खेसरा संख्या–4673, 4676, 4675, थाना संख्या–218, थाना–सुपौल में सुपौल टाउन–हरदी SH-66 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.005775 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 60, दिनांक 31.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/144240/2021/46, दिनांक 08.01.2024 द्वारा दो भागों में (A में 1–6 शर्त एवं B में 1–9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ–

भाग–A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

A-1

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 8,74,538.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270144240745, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 07.02.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINH24038638465 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.00578 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 5,536/– को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270144240745, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 07.02.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINH24038638465 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 07.02.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का Compliance report, Ministry ds Website- http://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

(28)

भाग–B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं करूगा।
2. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

a. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

d. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

5. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

8. (a) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(b) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(c) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन

Jitendra Kr

(जीतेन्द्र कुमार)
पिता–श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव,
ग्राम–चौघारा, पोस्ट–हरदी,
थाना–सुपौल, जिला–सुपौल,
पिन–825108

PM

(37)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-02-2024

Agency Name.	JITENDRA KUMAR
Application No.	70144240745
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/144240/2021
Location.	BIHAR
Address.	S/o-Shri Devendra Prasad Yadav, Village-Chaughara, PO-Hardi, PS-SupaulSupaul
Amount(in Rs)	880074/-

Amount in Words :Eight Lakh Eighty Thousand and Seventy-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270144240745 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR NO- CBINH24038638465.

2830

(36)

जमा पर्ची (ग्राहक प्रति)

Central Bank of India

दिनांक/Date

0	7	0	2	2	0	2	4

शाखा/Branch........इस्री..........

अन्तरण किया जाय/Request to transfer (रु० शब्दों में /Rs. in words......आठ लाख अस्सी हजार चौहत्तर के पात्र....... ₹ 8,80,074

आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा/Through RTGS/NEFT as per details given below.

प्रेषक/लाभार्थी का विवरण/Remitter's/Beneficiary's Details

प्रेषक का खाता नं० Remitter's A/C No.

2	2	1	1	3	6	2	7	5	2

चेक राशि रु०/Cheque Amount Rs.......आठ लाख अस्सी हजार चौहत्तर रुपये मात्र.......

(कमीशन के साथ/Including Commission)

लाभार्थी का खाता सं०/Beneficiary's A/C No.

1	5	0	6	2	7	0	1	4	4	2	4	0	7	4	5

बैंक/शाखा विववरण/Bank/Branch Details......UBIN 099 6335.......

आईएफएससी कोड/IFSC Code..........

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए/For Office Use Only

CBINR 24038638465

प्राप्तकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर मुहर सहित/Receiving Officer Signature with Seal Stamp

Empanelment Printer - M/s Sanket Kumar Patna-4, 2023-2024, Mob No - 8987376469, 8789054514

(35)

Form-1

(For Linear Project)

Government of Bihar

Office of the District Collector Supaul

****

No. 864

Dated 04/10/2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-19/98 EC(Pt) Dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued Guidelines on submission to evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA', for Short) on the Forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that 0.005775 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Indian Oil Corporation Limited Barauni (Name of user Agency) for Retail Outlet (proposed for diverson of forest land) in Supaul District falls within jurisdiction of Gaurav Garh village(s) in Supaul tehsils.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire. 0.005775 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level-Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as Required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal doe's not involve recognized rights of Primitive tribal groups and pre agricultural communities.

Encl. : As above

[signature] 27/9/23

District Magistrate

Supual

आवक 30-8-23

215 (34)

मनीष कुमार, बि०प्र०से० अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल के अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2023 को 01:00 बजे अपराहन में आयोजित अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति:– पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक 243–2 दिनांक 16.04.2021 के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना के पत्रांक 1144 दिनांक 08.11.2017 तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा संशोधित प्रावधानों की जानकारी सभी सदस्यों को दी गयी।

प्रस्ताव संख्या :– 01

सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल का पत्रांक 1715/सपत्र दिनांक 18.08.2023 द्वारा ग्राम पंचायत–सुखपुर–सोल्हनी, प्रखंड–सुपौल की दिनांक 12.08.2023 को आयोजित ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति पटल पर रखा गया। ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव में निर्णय लिया गया है कि रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनुसूचित जनजाति की आबादी से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है। बैठक में वर्ष, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी 04 दर्शायी गयी है, जो जनगणना अवधि में प्रगणक द्वारा गलत प्रतिवेदन सुनसूचित किया गया है। उपस्थित माननीय सदस्यों ने सम्यंक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है। F.R.A-2006 प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव F.R.A-2006 निर्गत करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति का किसी प्रकार से हित प्रभावित नहीं होता है। उक्त कार्य करने की सहमति बैठक में दी गयी।

प्रस्ताव संख्या :– 02

220 पृ० 01-9-2023

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल द्वारा दिनांक 03.08.2023 को आयोजित बैठक में मौजा–खरैल एवं मौजा–गौरवगढ़, अंचल–सुपौल में रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनुसूचित जनजाति की आबादी से संबंधित बैठक के प्रस्ताव संख्या–04 में F.R.A-2006 प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु रैखीय वन भूमि उपयोग के मामलें में जहाँ अनुसूचित जनजाति की आबादी पायी जाती है, उसके लिए अलग प्रपत्र निर्गत है। परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष, 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है। अनुमंडल वनाधिकार समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौजा–खरैल एवं गौरवगढ़ में रिटेल आउटलेट खोलने में अनुसूचित जनजाति का अधिकार का हनन नहीं होता है।

अंत में समिति के सदस्यों द्वारा दोनों प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए अध्यक्ष द्वारा सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–

अनुमंडल पदाधिकारी,
सुपौल।

ज्ञापांक 735-2/दिनांक 26/08/2023

प्रतिलिपि : सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : वन क्षेत्र पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सुपौल की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सुपौल।

Scanned with CamScanner

नगर परिषद्, सुपौल

बिहार सरकार

नगर परिषद् सुपौल की 03.08.2023 (गुरुवार) को आयोजित साधारण बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक	–03.08.2023
दिन	–गुरूवार।
समय	–02.00 बजे अपराह्न।
स्थान	–सभागार

03/08/23
श्री कृष्ण स्वरूप (वि.प्र.से)
कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव
नगर परिषद् सुपौल।

03/08/23
(श्री राघवेंद्र झा)
मुख्य पार्षद सह सभापति
नगर परिषद् सुपौल।

कार्यालय नगर परिषद् सुपौल

32

दिनांक 03.08.2023 (गुरूवार) को आयोजित साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव एवं निर्णय

उपस्थिति पंजी के अनुसार:–

प्रस्ताव संख्या– 01 स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन पर विचार :–

माननीय मुख्य पार्षद नगर परिषद् सुपौल के द्वारा उपस्थित माननीय सदस्यों से स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में सुक्षाव मांगा गया। श्री मनीष कुमार सिंह माननीय वार्ड पार्षद वार्ड सं0–07 के द्वारा यह कहा गया कि पूर्व की भाँति स्वतंत्रता दिवस सम्पन्न हो तथा साफ–सफाई का त्वरित गति से कार्य करवाया जाय। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपस्थित माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया।

प्रस्ताव संख्या– 02 FRA–2006 निर्गत प्रमाण–पत्र के संशोधन पर विचार :–

कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव ने बताया के अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 478–2 दिनांक 05.06.2023 तथा उक्त में संलग्न जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 308–2/आ0 दिनांक 03.04.2023, पत्रांक 362–2 एवं पत्रांक 361–2 दिनांक 21.04.2023 में मौजा खरैल एवं मौता गौरवगढ़ अंचल सुपौल में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष, 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार वर्त्तमान में अनुसूचित जनजाति की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है। अंकनीय है कि F.R.A–2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु रैखीय वन भूमि उपयोग में मामले में जहाँ अनुसूचित जनजाति की आबादी पायी जाती है। उसके लिए अलग प्रपत्र निर्धारित है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। उक्त के आलोक में एक बैठक कर प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्रावधान है। परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित की अभिलिखित आबादी नहीं है, से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है।

उपस्थित माननीय सदस्यों ने समयक् विचारनोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है, से संबंधित प्रस्ताव बोर्ड की साधारण बैठक प्रस्ताव सं0–04 दिनांक 15.06.2023 में पारित किया गया था। तद् आलोक में प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न करते हुए कार्यालय पत्रांक 973 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल को भेजी गई थी। तत् पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल ने अपने पत्रांक 628–2 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा पुनः बैठक आयोजित कर अनुसूचित जनजाति का अधिकार का हनन नही होने से संबंधित प्रस्ताव की मांग की गई है। उपस्थित माननीय सदस्यों ने समयक् विचारनोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अनुसूचित जनजाति के अधिकार का हनन नहीं हो रहा है।

04/08/23

Executive Officer
Nagar Parishad, Supaul

मुख्य पार्षद
नगर परिषद सुपौल